



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165937

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 44401 वर्ष 2008

हाकिम सिंह बघेल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पुनीत कुमार गुप्ता, पुनीत कुमार गुप्ता, सोम वीर

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार गुप्ता की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय अग्रवाल तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 26.07.2008 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है तथा साथ ही प्रतिवादियों को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- निर्देशित किए जाने की प्रार्थना की गई है कि उक्त जूनियर हाई स्कूल को अनुदान-सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि से याचिकाकर्ता को उसका संपूर्ण वेतन भुगतान किया जाए।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.07.1998 को प्रतिवादी संख्या 4 की संस्था में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के पास स्नातकोत्तर तथा बी.एड. की शैक्षिक योग्यताएं थीं, जिन्हें उसने क्रमशः वर्ष 1991 एवं 1993 में उत्तीर्ण किया था। याचिकाकर्ता की तदर्थ नियुक्ति को वर्ष 2000 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात्, संबंधित संस्था वर्ष 2006 में अनुदान-सूची में सम्मिलित हो गई। संस्था के अनुदान-सूची में सम्मिलित होने तक याचिकाकर्ता को वेतन प्राप्त हो रहा था। तथापि, जब उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तब उसने संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें संस्था में की जा रही अवैध नियुक्तियों के संबंध में उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी अध्यापकों को अप्रैल, 2006 से राज्य की राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा है। जब इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब रिट-ए संख्या 12433 वर्ष 2008 दाखिल की गई, जिसमें दिनांक 04.03.2008 के आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी को विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन भुगतान के दावे को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ता विधि-सम्मत रूप से चयनित अभ्यर्थी नहीं है और न ही उसकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधि के अनुसार की गई है तथा दिनांक 23.09.2000 को उसकी नियुक्ति को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अनुमोदन प्रदान किया गया था। अतः आक्षेपित आदेश इस तथ्य पर विचार किए बिना पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधि के अनुसार हुई थी और वर्ष 2006 में संस्था के अनुदान-सूची में सम्मिलित होने तक नियुक्ति की तिथि से उसे वेतन प्राप्त होता रहा था। उन्होंने संस्था में संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि तक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य भी किया है तथा उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद और याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अनुमोदित किए जाने संबंधी दस्तावेजों पर विचार किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो अवैध, मनमाना तथा विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

5. मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा नीचे पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, यह न्यायालय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, नोटिस जारी किए बिना अथवा प्रति-शपथपत्र आमंत्रित किए बिना, वर्तमान मामले का अंतिम रूप से निस्तारण करने के लिए अग्रसर होता है।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संस्था वर्ष 2000 में अनुदान-सूची में सम्मिलित हुई थी। याचिकाकर्ता ने अनुदान-सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू प्रावधानों के अनुसार वेतन भुगतान किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को विधि के अंतर्गत निर्धारित समुचित प्रक्रिया एवं कार्यविधि का पालन किए बिना तथा वर्ष 1978 के नियमों के नियम 7, 9 एवं 10 का उल्लंघन करते हुए सहायक अध्यापक के पद पर अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि रिट-ए संख्या 12433 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 04.03.2008 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदान नहीं किया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की कथित नियुक्ति वर्ष 1978 के नियमों के नियम 4, 7, 9, 10 एवं 11 के विपरीत थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.09.2000 का अनुमोदन आदेश संलग्न किया है, जो पूर्णतः अस्पष्ट, जाली, कूटरचित एवं हेरफेर किया हुआ है, क्योंकि अनुमोदन-पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः अनुमोदन आदेश जाली होने के कारण याचिकाकर्ता की नियुक्ति शून्य एवं निष्प्रभावी थी।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में अंतर्निहित विवाद अब कोई अनिर्णीत विधिक प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों की श्रृंखला द्वारा इसका निस्तारण हो चुका है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार के एक समान प्रश्न पर **सिविल विविध रिट याचिका संख्या 2227 वर्ष 2000, दीपक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, में विचार किया गया था, जिसे दिनांक 27.04.2016 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय को विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 543 वर्ष 2021 में चुनौती दी गई थी, जिसे भी दिनांक 29.07.2021 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार का एक विवाद इस न्यायालय के समक्ष **सिविल विविध रिट याचिका संख्या 26923 वर्ष 2009, अनंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, में भी विचारार्थ आया था, जिसका निर्णय दिनांक 15.07.2025 को किया गया था। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 7, 8, 9 एवं 10 का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए की गई थी और इसलिए याचिकाकर्ता के दावे को निरस्त किया जाना उचित था।

9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 10075 वर्ष 2019, विनोद तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, में दिनांक 13.07.2026 को पारित निर्णय एवं आदेश पर भी भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नवत् टिप्पणी की है:-

“39. यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि जांच अधिकारी के समक्ष मूल प्रेषण रजिस्टर प्रस्तुत न किए जाने मात्र से जांच कार्यवाही स्वतः अवैध हो जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं आधिकारिक अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर जांच की गई है और यह निष्कर्ष कि कथित दस्तावेज संबंधित कार्यालय से कभी जारी ही नहीं किए गए थे, वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता से है, न कि उस स्थिति में न्यायालय की राय को सक्षम प्राधिकारी की राय के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से, जब निष्कर्ष प्रासंगिक साक्ष्य पर आधारित हों तथा न तो मनमाने हों और न ही विकृत।”

40. अन्यथा भी, याचिकाकर्ता का दावा एक स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण आधार पर विफल होने योग्य है। विधि की स्थापित स्थिति में कोई अस्पष्टता नहीं है कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति को कोई प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करती है। लोक नियोजन केवल विधि तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होता है। अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत की गई नियुक्ति प्रारंभ से ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शून्य होती है और केवल इस आधार पर वैध नहीं की जा सकती कि संबंधित व्यक्ति को कुछ अवधि तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी अथवा उसे कुछ अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था।

41. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर. एन. नंजुंडप्पा बनाम टी. थिम्मैया एवं अन्य⁸ के मामले में प्रामाणिक रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति स्वयं वैधानिक नियमों के विपरीत हो, वहां दोष मामले की जड़ तक जाता है और बाद में उत्पन्न परिस्थितियों द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक राज्य के सचिव एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) के मामले में संविधान पीठ ने इस सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया कि लोक नियोजन का कड़ाई से संवैधानिक व्यवस्था एवं वैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप होना आवश्यक है तथा अवैध नियुक्ति से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार, ए. उमरानी बनाम सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एवं अन्य¹⁰ के मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक नियुक्ति स्वयं विधि की दृष्टि से संधारणीय न हो, तब तक राज्य की राजकोष से वेतन का दावा नहीं किया जा सकता है।

....

45. एक बार जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है, तो राज्य की राजकोष से वेतन के भुगतान का परिणामी दावा भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है। यह न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति के पक्ष में लोक धन के भुगतान का निर्देश नहीं दे सकता, जो लागू वैधानिक ढांचे के अनुसार अपनी विधिसम्मत नियुक्ति सिद्ध करने में विफल रहा है।

46. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि वर्तमान रिट याचिका गुण-दोष से रहित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करती है। अतः, उपर्युक्त समस्त कारणों से, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि अथवा अधिकारिता संबंधी दोष नहीं पाता है। रिट याचिका में कोई बल नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।”

10. आदेश-पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अवसर पर याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। फलतः, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि याचिकाकर्ता की उक्त पद पर विधिसम्मत नियुक्ति की गई थी।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि वर्तमान रिट याचिका गुण-दोष से रहित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करती है। अतः, उपर्युक्त अभिलिखित समस्त कारणों से, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अथवा अधिकारिता संबंधी दोष नहीं पाता है। रिट याचिका में कोई बल नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

12. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

दिनांक: 07 अगस्त, 2026

जितेन्द्र/-

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”